रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930

No. 50] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

भारतीय विश्व कार्य परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2008

सं. फा. (ii)/12(13)/2007.—भारतीय विश्व कार्य परिषद् का शासी निकाय, एतद्‌द्वारा भारतीय विश्व कार्य परिषद् अधिनियम, 2001 (2001 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को भारतीय विश्व कार्य परिषद् नियम, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से भारतीय विश्व कार्य परिषद् अधिनियम, 2001 (2001 का 29), समय-समय पर यथा संशोधित अभिप्रेत है ।

(ख) "सभापति" से भारतीय विश्व कार्य परिषद् के शासी निकाय का सभापति अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत समाविष्ट भारतीय विश्व कार्य परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) "महानिदेशक" से परिषद् के महानिदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "शासी निकाय" से परिषद् का शासी निकाय अभिप्रेत है;

(च) "सदस्य" से शासी निकाय के सदस्य अभिप्रेत है; और उसमें सभापति भी शामिल हैं,

(छ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) "उपाध्यक्ष" से परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(झ) "स्थायी समिति" और "तदर्थ समिति" से अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (5) के अंतर्गत बनाई गई स्थायी और तदर्थ समितियां अभिप्रेत हैं ।

3. **परिषद् की बैठकें.**—(1) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सभापति करेंगे ।

(2) परिषद् की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान और तारीख पर वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

(3) अध्यक्ष अपनी पहल पर अथवा परिषद् के न्यूनतम 15 सदस्यों के अनुरोध पर किसी भी समय परिषद् की विशेष बैठक बुला सकता है ।

(4) परिषद् के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना बैठक से न्यूनतम 14 दिन पूर्व देनी होगी ।

(5) परिषद् के कुल एक-तिहायी सदस्यों की उपस्थिति और मतदान से बैठक का कोरम पूरा होगा ।

(6) बैठक का कार्यवृत्त परिषद् के सचिव द्वारा रिकार्ड किया जाएगा और सभापति के अनुमोदन से सदस्यों में परिचालित किया जाएगा ।

4. **परिषद् का शासी निकाय.**—अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिषद् के शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, नामत :-

(क) परिषद् के नीति निर्देशों के अध्यधीन परिषद् के कार्यकारी प्राधिकार का प्रयोग करना;

(ख) परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए कार्यक्रम और विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करना;

(ग) परिषद् के वार्षिक बजट को केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में निर्धारित वित्तीय सीमा के अध्यधीन अनुमोदित करना और उसे अंगीकार करने के लिए परिषद् को प्रस्तुत करना;

(घ) परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट और लेखों को अनुमोदित करना और उसे स्वीकार करने के लिए परिषद् में प्रस्तुत करना;

(ङ) विभिन्न संगठनों के प्रख्यात व्यक्तियों और प्रतिनिधियों को अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और (ज) के उपबंधों के अनुसार परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित करना :

(च) स्टाफ के सदस्यों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;

5. सभापति की शक्तियां और कार्य.–इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिषद् के शासी निकाय के सभापति की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, नामत :–

(क) शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करना;

(ख) परिषद् के नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसरण में नीतिगत मामलों पर शासी निकाय को परामर्श और दिशा-निर्देश देना ।

6. शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों और कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.–(1) शासी निकाय की बैठक सभापति द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी।

(2) विशेष बैठकें अध्यक्ष द्वारा अपनी पहल पर अथवा शासी निकाय के कम से कम दो तिहायी सदस्यों से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर बुलाई जा सकती हैं।

(3) शासी निकाय के छह सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होगा।

(4) बैठक का कार्यवृत्त शासी निकाय के सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और सभापति के अनुमोदन से सदस्यों में परिचालित किया जाएगा।

7. कार्यकाल तथा रिक्तियों को भरा जाना.–(1) शासी निकाय के सदस्य, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, परिषद् द्वारा अपने नामांकन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य संभालेंगे और वे पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) शासी निकाय के सदस्य तब तक अपना कार्यभार सभालेंगे जब तक कि वे परिषद् के सदस्य रहते हैं।

(3) शासी निकाय के सदस्य के कार्यालय में होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा और ऐसे सदस्य उस सदस्य की शेष बची अवधि के लिए कार्य करेंगे जिनके स्थान पर वे नामांकित किए गए हैं।

(4) परिषद् के सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप शासी निकाय में हुई रिक्ति को भरे जाने के लिए नामांकन कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किया जाएगा

(5) किसी सदस्य के कार्यकाल समाप्त होने के चार माह पूर्व महानिदेशक रिक्ति को भरने के लिए उचित कदम उठाएगा।

(6) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरे जाने के लिए नामांकन ऐसी रिक्ति होने की तिथि के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा।

8. सभापति और शासी निकाय के सदस्यों के भत्ते–शासी निकाय और उसकी समितियों अथवा तदर्थ समितियों के सभापति और सदस्यों के भत्ते भा.वि.का.प. नियमावली, 2006 के नियम 6, समय-समय पर यथासंशोधित के तहत अनुमत्य परिषद के सदस्यों के समान होंगे।

9. परिषद का महानिदेशक.–(1) महानिदेशक परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसरण में परिषद द्वारा की जाएगी। वह परिषद के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होंगे।

(2) महानिदेशक के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(क) यह सुनिश्चित करना कि परिषद् के लेखे और आस्तियां इस अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में सुव्यवस्थित रूप से रखे गए हैं;

(ख) परिषद् की ओर से संविदाएं निष्पादित करना;

(ग) कार्यकलापों के कार्यक्रम और बजट प्राकलनों को तैयार करना और परिषद् के वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श करके परिषद के शासी निकाय को प्रस्तुत करना;

(घ) परिषद् तथा उसकी एजेंसियों की ओर से यथावश्यक सरकारी पत्राचार करना;

(ङ) परिषद, उसके शासी निकाय और अन्य समितियों की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करना और इन बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करना;

(च) परिषद्, शासी निकाय अथवा परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित अथवा सौंपी गई ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

10. परिषद् के महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें.–परिषद् के महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस दिशा में परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में विनियमित की जाएगी।

11. **पदों का सृजन.**–पदों का सृजन, विभिन्न ग्रेडों में उनका वर्गीकरण और पदनाम एवं उसके साथ जुड़े वेतनमान एवं भत्ते इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही परिषद् के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

12. **शेष प्रावधान.**–इन विनियमों के कार्यान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस मामले को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

अशोक कुमार, कार्यवाहक महानिदेशक

INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2008

No. F(ii)/12(13)/2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 26 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001), the Governing Body of the Indian Council of World Affairs hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Indian Council of World Affairs Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001);

(b) "Chairperson" means Chairperson of the Governing Body of the Indian Council of World Affairs;

(c) "Council" means the Indian Council of World Affairs incorporated under Section 4 of the Act;

(d) "Director General" means the Director General and the Chief Executive Officer of the Council;

(e) "Governing Body" means the Governing Body of the Council;

(f) "Member" means a member of the Governing Body and includes its Chairperson;

(g) "President" means the President of the Council;

(h) "Vice-President" means the Vice Presidents of the Council;

(i) "Standing Committee" and "Ad-hoc Committee" means the standing and ad-hoc committees constituted under sub-section (5) of Section 14 of the Act.

3. **Meeting of the Council.**—(1) Every meeting shall be presided over by the Chairperson.

(2) The Council shall meet at least once every year at a place and on a date to be fixed by the President.

(3) The President may call a special meeting at any time on his own initiative or on the request made by not less than fifteen members of the Council.

(4) Each member of the Council shall be given at least fourteen days' notice in writing of every meeting of the Council.

(5) One-third of the total members of the Council present and voting in a meeting shall form the quorum.

(6) Minutes of the meeting shall be recorded by the Secretary of the Council and with the approval of the Chairperson shall be circulated to the members.

4. **The Governing Body of the Council.**—Subject to the provisions of the Act, the Governing Body of the Council shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to exercise the executive authority of the Council subject to the policy directives of the Council;

(b) to formulate programmes and specific projects for submission to the Council;

(c) to approve the annual budget of the Council subject to the financial limit fixed by the Central Government in this behalf and to submit the same to the Council for its adoption;

(d) to approve the annual report and accounts of the Council and submit the same to the Council for its adoption;

(e) to nominate eminent persons and the representatives of various organisations to be members of the Council, in accordance with the provisions of clauses (g) and (h) of sub-section (2) of Section 7 of the Act;

(f) to approve the appointments of the members of the staff.

5. **Powers and functions of Chairperson.**—Subject to the provisions of the Act, the Chairperson of the Governing Body of the Council shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to preside over meetings of the Governing Body;

(b) to advise and provide guidance to the Governing Body on policy matters in accordance with the policy and guidelines of the Council.

6. **Procedure to be followed by the Governing Body in exercise of its powers and discharge of its functions.**—

(1) The Governing Body shall meet at least twice every year at a place and on a date to be fixed by the Chairperson.

(2) Special meetings may be called by the Chairperson on his own initiative or at the request received

in writing from at least two-third of the members of the Governing Body.

(3) Six members of the Governing Body shall form the quorum.

(4) Minutes of the meeting shall be recorded by the Secretary of the Governing Body and after approval of the Chairperson it shall be circulated to the Members.

7. Term of office and filling of vacancies.—(1) The members of the Governing Body, except where otherwise provided, shall hold office for a period of three years from the date of his nomination by the Council and shall be eligible for re-appointment.

(2) A member of the Governing Body shall hold office for so long as he is the member of the Council.

(3) Any casual vacancy in the office of a member of the Governing Body shall be filled up by fresh nomination and such member shall contiune for the remainder of the term of the member in whose place he is nominated.

(4) The nominations to fill the vacancy in the Governing Body, caused by the expiration of the term of office of a member of the Council shall be made before the expiration of the term of office.

(5) The Director General shall, before four months of the expiration of the term of office of the member, take appropriate action for filling up of the vacancy.

(6) The Nomination to fill a casual vacancy shall be made as soon as possible after the date of occurrence of such vacancy.

8. Allowances of Chairperson and members of Governing Body.—The allowances of Chairperson and members of the Governing Body and its committees or *ad hoc* committees shall be the same as are admissible to a member of the Council under rule 6 of the Indian Council of World Affairs Rules, 2006, as amended from time to time.

9. Director General of Council.—(1) The Director General shall be the Chief Executive Officer of the Council and shall be appointed by the Council in accordance with the provisions of Section 15 of the Act and he shall be under the administrative control of the President of the Council.

(2) It shall be the duty of the Director General—

(a) to ensure that the accounts and assets of the Council are maintained in proper order in accordance with the provisions of the Act and rules or regulations made thereunder;

(b) to execute contracts on behalf of the Council;

(c) to formulate and present the programme of the activities and budget estimates to the Governing Body of the Council in consultation with the Financial Advisor of the Council;

(d) to conduct official correspondence on behalf of the Council and its agencies as necessary;

(e) to issue notices convening meetings of the Council, its Governing Body and other Committees and to record minutes of these meetings;

(f) to exercise such other powers as may be delegated or assigned to him by the Council, the Governing Body or the President of the Council.

10. Conditions of service of Director General and other officers and employees of Council.—The conditions of service in respect of the Director General and other officers and employees of the Council shall be regulated in accordance with the regulations made by the Council in this behalf with prior approval of the Central Government in accordance with the provisions of the Act.

11. Creation of Posts.—Creation of posts, their classification into various grades and desigantions and scales of pay and allowances attached thereto, shall be such as may be specified by regulations by the Council with the prior approval of the Central Government in accordance with the provisions of the Act.

12. Residuary provisions.—If any difficulty arises in implementing these regulations, the matter may be referred to the Central Government.

ASHOK KUMAR, Acting Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.